वित्तीय स्वीकृति

संख्या-23/573/52-3-14-बजट(12)/2014

प्रेषक,

देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□/कार्यपालक अधिकारी,
□0प्र0 राज्य हज समिति
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 11 अप्रैल, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रान्तीय हज समिति को मद संख्या-20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□) □□ 31-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□) □□ में वित्तीय स्वीकृति। (आयोजनेन्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) □□0-1 के कार्यालय ज्ञाप : 0-□□-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14.3.2014 के प्रस्तर-2(1), 2(6) □ 2(7) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 राज्य हज समिति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्यय में मानक मद □ख्या-20-□□□□ □□□□-सामान्य(□□ □□) □□ 31-□□□□□ □□□□-सामान्य(□□) मद में प्रस्तावित धनराशि क्रमशः रू0 55.00 लाख तथा रु0 106.00 लाख के सापेक्ष 04 माह के लेखानुदान के रूप में पारित धनराशि क्रमशः रू0 18.33.000/- तथा रू0 35,33,000/- अर्थात् कुल रू0 53,66,000/-(रू0 तिरपन लाख छाछठ लाख मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया □□□□ □□□ □□□□□□ को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया □□□□□

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/□□□□□□ प्रमाण-पत्र शासन को मई, 2014 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) □□□□□ □□ □□□□ (□□टमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक □□, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली □□□

(5) धनराशि के व्यय में वित्त विभाग द्वारा निर्गत मितव्यता संबंधी आदेशो का विधिवत पालन किया जायेगा।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिए आवश्यक धन व्यवस्था वर्ष 2014-15 के मूल आय व्ययक एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

3- लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2014 के लिए दिनांक 5-3-2014 से आदर्श चुनाव आचार सहिंता लागू है। अतः धनराशि के व्यय हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार सहिंता में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2250-अन्य समाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03 प्रान्तीय हज समिति को अनुदान-20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□)/31-□□□□□ □□□□- सामान्य (□□□) के नामें डाला जायेगा।

http://sanadesh.up.nic.in

5- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या-573(1)/52-3-14 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, □□□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद,704, □□□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-0(02 प्रतियों में)/नियोज□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(रकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □□□

http://shasanadesh.up.nic.in